

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में नगर निगम, पटना क्षेत्रान्तर्गत CWJC No-7692/2026 बिहार जूडिसियल एकेडमी, गायघाट, पटना एवं अन्य मामले में माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में जूडिसियल एकेडमी, गायघाट, पटना एवं अम्बेदकर छात्रावास के बीच सड़क के उत्तर एवं दक्षिण दोनों तरफ भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के पश्चात उक्त भूमि पर पार्क निर्माण हेतु तत्काल कुल राशि ₹96.79791 लाख (छियानवे लाख उनासी हजार सात सौ एकानवे रु०) मात्र वित्तीय वर्ष 2026-27 में सहायक अनुदान के रूप में राशि के व्यय की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

CWJC No-7692/2026 बिहार जूडिसियल एकेडमी, गायघाट, पटना एवं अन्य मामले में माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में जूडिसियल एकेडमी, गायघाट, पटना एवं अम्बेदकर छात्रावास के बीच सड़क के उत्तर एवं दक्षिण दोनों तरफ भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के पश्चात उक्त भूमि पर पार्क निर्माण किया जाना है। इस संबंध में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार, पटना के पत्रांक-836 दिनांक-03.09.2026 द्वारा समर्पित योजना के प्राक्कलन एवं प्रस्ताव को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के पत्रांक-5389 दिनांक-03.09.2026 द्वारा अग्रसारित करते हुए उक्त प्रस्ताव पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए राशि आवंटित करने अनुरोध किया गया था, माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-18.06.2026 को पारित आदेश के अनुपालन तथा दिनांक-11.09.2026 को माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना में सुनवायी के आलोक में बाध्यकारी परिस्थिति में विभागीय स्थायी वित्त समिति की दिनांक-10.09.2026 की बैठक में योजना की स्वीकृति के प्रस्ताव पर अनुशंसा प्राप्त करते हुए विभागीय पत्रांक-9568(A) दिनांक-10.09.2026 द्वारा राशि ₹256.79791 लाख (दो करोड़ छप्पन लाख उन्नासी हजार सात सौ एकानवे रु०) मात्र की पार्क निर्माण की योजना पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। 16.09.2026 को स्कीम स्क्रीनिंग समिति की आयोजित बैठक में योजना की घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त की गयी है।

2. पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत जूडिसियल एकेडमी, गायघाट, पटना एवं अम्बेदकर छात्रावास में पार्क निर्माण हेतु में निम्न तालिका के स्तम्भ-5 में अंकित राशि ₹96.79791 लाख (छियानवे लाख उनासी हजार सात सौ एकानवे रु०) मात्र तत्काल सहायक अनुदान के रूप में व्यय की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है:-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की कुल राशि	पूर्व में आवंटित राशि	तत्काल व्यय हेतु स्वीकृत कुल राशि	अवशेष राशि (03-04-05)
1	2	3	4	5	6
1	जूडिसियल एकेडमी, गायघाट, पटना एवं अम्बेदकर छात्रावास में पार्क निर्माण।	256.79791	160.00	96.79791	0

3. उक्त स्वीकृत राशि ₹96.79791 लाख (छियानवे लाख उनासी हजार सात सौ एकानवे रू०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक-17.04.98, पत्रांक- 236, दिनांक- 09.03.2026 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। **अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि नगर निगम, पटना के PL खाता सं०-PTCPLA021 तथा HOA- 00-8448-00-102-0001-00-01 में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा। नगर निगम, पटना द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार को राशि Online हस्तांतरित की जायेगी। राशि के व्यय के उपरांत उपयोगिता प्रमाण पत्र पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।**
4. उक्त स्वीकृत राशि ₹96.79791 लाख (छियानवे लाख उनासी हजार सात सौ एकानवे रू०) मात्र की निकासी मांग संख्या-48 नगर विकास एवं आवास विभाग, मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष-01-राज्य की राजधानी का विकास, लघु शीर्ष-191-नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष-0109-नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधाएँ सहायक अनुदानन, विपत्र कोड-48-2217011910109, विषय शीर्ष-0109.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण से की जायेगी।
5. बिहार कोषागार सहित के नियम-286 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०-46 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-1496/वि(2), दिनांक-22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक-61, दिनांक-11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र BTC-42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी।
6. वित्त विभाग के संकल्प सं०-573, दिनांक-16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक-19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271 के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं अंकेक्षित लेखा स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"
7. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-03/ना०सु०-22-19/2025 के पृष्ठ सं०-19/टि० पर दिनांक-12.9.26 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-21/टि० पर दिनांक-12.9.26 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-03/ना०सु०-22-19/2025 **167** /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-21.09.26

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार/प्रबंध निदेशक, बुडको/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 एवं 06 नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।